प्रेस नोट थाना रोजा

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक- 14.02.2026

“जीएसटी की फर्जी फर्म बनाकर 02 करोड़ रुपये की कर चोरी करने वाले गिरोह का संयुक्त पुलिस टीम द्वारा पर्दाफाश”

जनपदीय एसओजी, सर्विलांस सेल, गैंगस्टर सेल व थाना रोजा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा जीएसटी की बोगस फर्म बनाकर लगभग 02 करोड़ रुपये की कर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चार अभियुक्त फर्जी दस्तावेज एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशानुसार जनपद में जीएसटी फ्रॉड संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं चिह्नित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण तथा प्रभारी गैंगस्टर सेल, जनपद शाहजहाँपुर के कुशल नेतृत्व में जनपदीय एसओजी, सर्विलांस सेल एवं थाना रोजा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा जीएसटी की बोगस फर्म बनाकर लगभग 02 करोड़ रुपये की कर चोरी कर व्यापारियों को आईटीसी का अवैध लाभ पहुँचाने वाले चार अभियुक्तों को अटसलिया पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरोह के सदस्य सोशल मीडिया के माध्यम से भोले-भाले व्यक्तियों को नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं फोटो आदि दस्तावेज प्राप्त कर लेते थे। तत्पश्चात उनके फर्जी एवं कूटरचित हस्ताक्षर तैयार कर बोगस जीएसटी फर्मों का पंजीकरण कराते थे। इन फर्जी जीएसटी फर्मों के नाम से कूटरचित ई-वे बिल एवं बिल्टी तैयार कर जनपद महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर आदि जनपदों से स्क्रैप खरीदते थे तथा जनपद मुजफ्फरनगर में अवैध रूप से विक्रय कर फर्जी लेन-देन दर्शाते हुए कर चोरी करते थे।

घटना का संक्षिप्त विवरण /पूछताछ विवरण

दिनांक 28/29.11.2025 को मोहम्मदी रोड पर जीएसटी के सचल दल प्रभारी हरित कुमार, हे0का0 शुभम तथा का0 चमन द्वारा अवैध रूप से माल सप्लाई करने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान वाहन संख्या UP 14 HT 7358 के चालक मेहरवान, वाहन संख्या BR 06 GE 5270 के चालक केश्वर कुमार तथा वाहन संख्या HR 67 DE 3245 के चालक नंदलाल भगत को प्रमोद इंटरप्राइजेज के नाम से संचालित फर्जी जीएसटी फर्म के ई-वे बिल एवं बिल्टी सहित रोका गया। जांच के दौरान प्रस्तुत समस्त अभिलेख फर्जी एवं कूटरचित पाए गए। उक्त संबंध में थाना रोजा पर मु0अ0सं0 640/2025 धारा 318(2)/318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस व धारा 132 जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत कनिष्ठ लिपिक विकास कुमार, सचल दल शाहजहाँपुर द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए एवं विवेचना की गुणवत्ता परख व यथाशीघ्र विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय द्वारा श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया। विवेचना निरीक्षक वीरेन्द्र सिंह, प्रभारी गैंगस्टर सेल को विवेचना सुपुर्द की गई तथा उ0नि0 सौरभ शुक्ला को सह-विवेचक नियुक्त किया गया। विवेचना के क्रम में संकलित साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 14.02.2026 को जनपदीय एसओजी, प्रभारी गैंगस्टर सेल, सर्विलांस सेल एवं थाना रोजा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा वांछित अभियुक्तों की पतारसी, सुरागरसी एवं गिरफ्तारी हेतु हथौड़ा चौराहे पर मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि बोगस जीएसटी फर्म बनाकर स्क्रैप

की गाड़ियाँ निकलवाने वाले गिरोह के कुछ सदस्य सफेद रंग की मारुति फ्रॉन्क्स कार संख्या DL 07 CY 4616 से दिल्ली की ओर से शाहजहाँपुर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा अटसलिया पुल से पूर्व घेराबंदी कर उक्त वाहन को रोककर उसमें सवार चार व्यक्तियों को दिनांक 14.02.2026 को समय करीब 07:04 बजे गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से कूटरचित जीएसटी फर्मों से संबंधित ई-वे बिल, बिल्टी, मोबाइल फोन आदि बरामद हुए। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों को न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने हेतु विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. अखिलेश पुत्र अशोक कुमार निवासी गजियापुर पोस्ट मूसापुर थाना सरैनी जिला रायबरेली हाल पता गली नं0 04 बी ब्लॉक स्वरुप नगर दिल्ली 110042
2. विपिन पुत्र नक्षत्रपाल सिंह निवासी गली नं0 04 के सामने मौहल्ला नेकपुर थाना सिविल लाईन जनपद बदायूँ हाल निवासी मकान नं0 317ए एफ ब्लॉक थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद।
3. शिवओम शर्मा उर्फ सुमित पुत्र चतरसैन निवासी ग्राम लच्छैडा थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर।
4. राहुल राणा पुत्र रामकुमार निवासी कैडी थाना बाबरी जनपद शामली।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 640/2025 धारा 318(2)/318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस व 132 जीएसटी अधिनियम थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर।

अभियुक्त विपिन पुत्र नक्षत्रपाल सिंह का अपराधिक इतिहासः-

- ✓ मु0अ0सं0 1851/18 धारा 411, 414, 482 भादवि थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद।
- ✓ मु0अ0सं0 1852/18 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद।

गिरफ्तारी का दिनाँक समय , स्थान

दिनाँक 14.02.2026 समय 07.04 बजे , अटसलिया पुल के पास थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण

1. 06 एन्ड्रायड फोन
2. एक कीपैड फोन
3. 10 बिल्टी बुक
4. 02 रजिस्टर जिनमे निकाली गयी गाडियो का विवरण अंकित है।
5. एक सफेद रंग की मारुति फ्रॉन्क्स कार

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वे बिहार राज्य की फर्जी जीएसटी फर्मों को कूटरचना कर अन्य व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत कराते हैं। उन्हीं फर्मों के नाम से फर्जी ई-वे बिल एवं बिल्टी तैयार कर जनपद गोरखपुर, आजमगढ़, कुशीनगर आदि स्थानों से स्क्रैप खरीदकर जनपद मुजफ्फरनगर में सप्लाई करते हैं। विपिन फर्जी बिल्टी पर हस्ताक्षर करता है, राहुल फर्जी ई-वे बिल तैयार कराता है तथा सुमित उर्फ शिवओम स्क्रैप की गाड़ियों के नंबर उपलब्ध कराता है। फर्जी ई-वे बिल एवं बिल्टी तैयार होने के उपरांत सुमित एवं राहुल व्हाट्सएप के माध्यम से उक्त दस्तावेज चालकों को उपलब्ध कराते हैं। अखिलेश एवं विपिन मोबाइल के माध्यम से चालकों को गाड़ी किस समय एवं किस मार्ग से निकालनी है, इसकी जानकारी देते हैं, क्योंकि उन्हें जीएसटी अधिकारियों की चेकिंग के समय की जानकारी रहती है। इस कार्य हेतु "ब्रदर्स लॉजिस्टिक" नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें विपिन, अखिलेश एवं राहुल सदस्य हैं। कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से कर चोरी कर अवैध धन अर्जित किया जाता है। अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 28 एवं 29.11.2025 को उनकी तीन गाड़ियाँ शाहजहाँपुर में पकड़ी गई थीं। उन्हें छुड़ाने हेतु विपिन एवं अखिलेश शाहजहाँपुर आए थे। पकड़ी गई गाड़ियों का कर एवं जुर्माना सुमित उर्फ शिवओम द्वारा अन्य व्यक्ति के माध्यम से चालकों के नाम से जमा कराया गया था।

चालक मेहरवान, केश्वर पटेल एवं नंदलाल भगत पूर्व से उनके संपर्क में थे तथा कई बार फर्जी जीएसटी फर्म के नाम पर स्क्रैप मुजफ्फरनगर ले जा चुके थे। अभियुक्तों ने यह भी बताया कि जिस कार से वे दिनांक 14.02.2026 को आ रहे थे, उसे अखिलेश ने स्क्रैप से अर्जित धनराशि से खरीदा था। सुमित उर्फ शिवओम स्क्रैप खरीदकर विभिन्न फैक्ट्रियों में विक्रय करता है तथा प्रति टन ₹1000/- की दर से राशि अखिलेश, विपिन एवं राहुल को देता है, जिसमें ₹400/- राहुल तथा ₹300/-₹300/- विपिन एवं अखिलेश को प्राप्त होते हैं। अब तक इस गिरोह द्वारा लगभग 200 से 250 स्क्रैप की गाड़ियाँ फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से पास कराई जा चुकी हैं।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह प्रभारी गैगस्टर सैल जनपद शाहजहाँपुर
2. निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार प्रभारी एस0ओ0जी0 मय टीम जनपद शाहजहाँपुर
3. निरीक्षक श्री राजीव कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना रोजा शाहजहाँपुर
4. उ0नि0 श्री जगत सिंह गैगस्टर सैल जनपद शाहजहाँपुर
5. उ0नि0 श्री सौरभ शुक्ला थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर
6. सर्विलांस सेल टीम, जनपद शाहजहाँपुर